(ख) इस काम के लिये कितनी क्षय-रोग आरोग्यशालायें और केन्द्रीय अस्पताल चल रहे हैं ;

(ग) वर्ष १९५६-५७ और चालू वर्ष में अब तक इन में कितने मजदूरों का इलाज किया गया ; और

(घ) इन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या सीमित होने के कारण कितने क्षय-रोग से पीड़ित मजदूरों को भर्ती नहीं किया जा सका ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). कोयला खान श्रम कल्याण फंड संस्था द्वारा झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में बारह-बारह पलंगों के दो क्षय-रोग औषधालय चलाये जा रहे हैं। इसके अलावा, संस्था ने विभिन्न क्षय-रोग आरोग्यशालाओं/अस्पतालों में ६२ पलंग रक्षित कराये हैं।

(ग) जितने मजदूरों और उनके आश्रितों का क्षय-रोग आरोग्यशालाओं और औषधालयों में इलाज किया गया उनकी संख्या नीचे दी जाती है :—

	१९५६	१९५७ (नवम्बर, तक)
१. संस्था के क्षयरोग औषधालयों में	१५१	१०२
२. क्षयरोग आरोग्यशालाओं / अस्पतालों में जहां कि संस्था ने पलंग रक्षित कराये हैं।	६७	६७

(घ) लगभग १२०० ।

खली

१६२७. श्री रा० रा० मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खली से तेल निकाल लेने के पश्चात् जो रद्दी अंश शेष रहता है उसका कारखानों में किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : खली से तेल निकालने के बाद कारखाने उसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन तेल रहित खली को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा निर्यात किया जाता है। इन खलियों को जानवरों के खिलाने के काम में भी लाया जा सकता है बशर्ते कि इनमें से तेल निकालते समय घोलक पदार्थ के रूप में बढ़िया किस्म का "हैक्सीन" तथा "हैप्टेन" प्रयोग किया जाये।

एसबेस्टस सीमेंट की चादरें

१६२८. श्री रा० रा० मिश्र : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसबेस्टस सीमेंट की चादरें बनाने के लिये विदेशों से क्या-क्या कच्चा माल मंगाना पड़ता है; और

(ख) इस कच्चे माल को देश में प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एसबेस्टस सीमेंट की चादरें बनाने के लिये विदेशों से सिर्फ कच्चा एसबेस्टस मंगाना पड़ता है।

(ख) देश में जिस किस्म का कच्चा एसबेस्टस मिलता है, वह एसबेस्टस सीमेंट की चादरें बनाने के लिये पूरी तरह ठीक नहीं है। वैज्ञानिक गवेषणा परिषद् (हैदराबाद) देश में मिलने वाले एसबेस्टस का प्रयोग किये जा सकने की जांच पड़ताल कर रही है। कलकत्ते में एसबेस्टस सीमेंट का संयंत्र स्थापित करने की एक योजना हाल ही में मंजूर की गयी है। इस योजना में कुछ आयातित कच्चा माल मिला कर देश

में प्राप्त कच्चा माल प्रयोग करने का विचार है । इन योजनाओं के सफल होने पर ही देशी रेशों को खासे बड़े पैमाने पर प्रयोग करना संभव होगा ।

अल्युमीनियम

१६२९. श्री रा० रा० मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में अब तक अल्युमीनियम की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) उसके फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) अल्युमीनियम उद्योग की मौजूदा उत्पादन क्षमता ७,५०० टन वार्षिक है । १२,५०० टन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लाइसेंस तथा मौजूदा उत्पादन क्षमता में २,४०० टन का और भी विस्तार करने की मंजूरी दे दी गयी है । इस प्रकार कुल उत्पादन क्षमता २२,४०० टन हो जायेगी ।

जितनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लाइसेंस दिये जा चुके हैं उससे १९५७–५८ में अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा नहीं है लेकिन १९५८ के अंत तक लाइसेंस शुदा एक योजना से अधिक उत्पादन होने की संभावना है ।

ऊनी कपड़ा

१६३०. श्री रा० रा० मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को प्रत्येक वर्ष कितना ऊनी कपड़ा निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) इस निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या सरकार कोई उपाय कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) १९५५ से ऊनी कपड़ा निम्न परिमाण में निर्यात किया गया :—

१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८ (जनवरी-जून)
ऊनी कपड़ा (गजों में)		
१२,३११	४४,४१५	५,१२९
शाल (संख्या)		
१४,७२८	२३,५३५	१४,०५१
अन्य प्रकार का (पौण्ड)		
६,५६,७६७	५,४१,४७०	८,६३,७५४
हौजरी		
—	—	२४,११९

(ख) और (ग) . ऊन उद्योग की विकास परिषद् ने ऊनी माल का निर्यात बढ़ाने के लिये एक विशेष उपसमिति नियुक्त की है ।

बिनौले के तेल के कारखाने

१६३१. श्री बाल्मीकी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में बिनौले का तेल निकालने के जिन ६ नये कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ग) ये लाइसेंस उन्हें किस आधार पर दिये गये थे ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट–४, अनुबन्ध संख्या २७]